

न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्या:—जीसीएमएस नं. 2022/459

1. राकेश पुत्र स्व.श्री रामकुंवार मीना,
2. रामराज पुत्र स्व. श्री रामकुंवार मीना समस्त जातियान मीना समस्त निवासीयान ग्राम सवाई गेटोर तहसील सांगानेर जिला जयपुर, राजस्थान।

—अपीलान्ट्स

बनाम

1. हरिनारायण पुत्र प्रभूनारायण जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम कानड़वास, तहसील बस्सी जिला जयपुर राजस्थान।
3. सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

— रेस्पोंडेन्ट्स

उपस्थिति:—

1. श्री रामअवतार शर्मा, एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से
2. श्री नरेश कुमार जैन एडवोकेट, रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 की ओर से

अपील संख्या:—जीसीएमएस नं. 2022/460

1. राकेश पुत्र स्व.श्री रामकुंवार मीना,
2. रामराज पुत्र स्व. श्री रामकुंवार मीना समस्त जातियान मीना समस्त निवासीयान ग्राम सवाई गेटोर तहसील सांगानेर जिला जयपुर, राजस्थान।

—अपीलान्ट्स

बनाम

1. बलदेव पुत्र पेमाराम,
2. हेतराम पुत्र मूलचन्द, समस्त जाति गुर्जर निवासीयान ग्राम श्रीरामपुरा, तहसील बस्सी जिला जयपुर राजस्थान।
3. सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

— रेस्पोंडेन्ट्स

उपस्थिति:—

1. श्री रामअवतार शर्मा, एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से
2. श्री नरेश कुमार जैन एडवोकेट, रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 लगायत 2 की ओर से

अपील संख्या:—जीसीएमएस नं. 2022/461

1. राकेश पुत्र स्व.श्री रामकुंवार मीना,
2. रामराज पुत्र स्व. श्री रामकुंवार मीना समस्त जातियान मीना समस्त निवासीयान ग्राम सवाई गेटोर तहसील सांगानेर जिला जयपुर, राजस्थान।

—अपीलान्ट्स

बनाम

1. कैलाश पुत्र गोविन्द नारायण, जाति ब्राह्मण,
2. सीताराम पुत्र श्री गोविन्द नारायण जाति ब्राह्मण, निवासीयान ग्राम कानड़वास, तहसील बस्सी जिला जयपुर राजस्थान।

P.T.O.

(2)

3. बरजी देवीपत्नी श्री सीताराम, जाति मीना, निवासी 15, मैन मार्केट, गुणावता की ढाणी के पास वार्ड नम्बर 24, जयपुर हाल निवासी ग्राम खिजूरिया ब्राह्मणान, तहसील बस्सी जिला जयपुर राजस्थान।
4. मंगलराम पुत्र ग्यारसी लाल जाति मीना, निवासी बडी का बास व्याडवालों की ढाणी, सीतापुरा औधौगिक क्षेत्र जयपुर, राजस्थान।
5. सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

— रेस्पोंडेन्ट्स

उपस्थिति:-

1. श्री रामअवतार शर्मा, एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से
2. श्री नरेश कुमार जैन एडवोकेट, रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 की ओर से

अपील संख्या:-जीसीएमएस नं. 2022/462

1. राकेश पुत्र स्व.श्री रामकुंवार मीना,
2. रामराज पुत्र स्व. श्री रामकुंवार मीना समस्त जातियान मीना समस्त निवासीयान ग्राम सवाई गेटोर तहसील सांगानेर जिला जयपुर, राजस्थान।

—अपीलान्ट्स

बनाम

1. गंगा देवी पुत्री श्री पेमाराम,
2. गोरदेवी पुत्र श्री पेमाराम,
3. ग्यानी देवी पुत्री श्री पेमाराम,
4. मंगली पत्नी श्री पेमाराम,
5. बलदेवी पुत्र श्री पेमाराम, समस्त जाति गुर्जर, निवासीयान श्रीरामपुरा, तहसील बस्सी जिला जयपुर राजस्थान।
6. सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

— रेस्पोंडेन्ट्स

उपस्थिति:-

1. श्री रामअवतार शर्मा, एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से
2. श्री नरेश कुमार जैन एडवोकेट, रेस्पोंडेन्ट संख्या 5 की ओर से

अपील संख्या:-जीसीएमएस नं. 2022/463

1. राकेश पुत्र स्व.श्री रामकुंवार मीना,
2. रामराज पुत्र स्व. श्री रामकुंवार मीना समस्त जातियान मीना समस्त निवासीयान ग्राम सवाई गेटोर तहसील सांगानेर जिला जयपुर, राजस्थान।

—अपीलान्ट्स

बनाम

1. कैलाश पुत्र गोविन्द नारायण, जाति ब्राह्मण,
2. सीताराम पुत्र श्री गोविन्द नारायण जाति ब्राह्मण, निवासीयान ग्राम कानड़वास, तहसील बस्सी जिला जयपुर राजस्थान।
3. सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील बस्सी जिला जयपुर।

— रेस्पोंडेन्ट्स

P.T.O.

तहसील
समानिय आपुक्त
जयपुर

उपस्थिति:-

1. श्री रामअवतार शर्मा, एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से
2. श्री नरेश कुमार जैन एडवोकेट, रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 की ओर से

निर्णय

दिनांक: 18.01. 2023

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपीलें अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.07.2022 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई तथा पांचों अपीलों की विषयवस्तु एक जैसी होने से पांचों अपीलों का निर्णय एक साथ किया जा रहा है।

अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व साक्ष्यों पर बगैर मनन किये व कानूनी व प्रक्रियात्मक सिद्धान्तों के बाहर जाकर अवैध रूप से अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.07.2022 पारित किया जो विधि विधान एवं कानूनी प्रक्रिया के विपरित होने से निरस्तनीय है। उन्होंने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्थरगढ़ी के प्रार्थना पत्र में अपीलान्त जो कि पड़ौसी खातेदार है उस अपीलान्त को बिना पक्षकार बनाये ही एकतरफा रूप से एकपक्षीय अपीलाधीन आदेश पारित करवाया है जबकि भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानानुसार पत्थरगढ़ी एवं सीमांकन का आदेश पारित करने से पूर्व पड़ौसी काश्तकारों को पक्षकार बनाया जाना चाहिये तथा पड़ौसी पक्षकार को कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व नोटिस प्रदान करना कानूनी रूप से आवश्यक है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने से पूर्व कानूनी प्रावधानों की पालना नहीं गई। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधि विरुद्ध एवं कानूनी प्रक्रियाओं के विपरित होने के कारण खारिज योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्त ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त को बगैर सुनवाई व बगैर पक्षकार बनाये अवैध रूप से एकपक्षीय अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो प्राकृतिक एवं न्यायिक सिद्धान्तों के विपरित होने के कारण काबिले निरस्त है। उन्होंने आगे कथन किया है कि प्राकृतिक न्याय का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी पक्षकार के विरुद्ध आदेश पारित करने से पूर्व न्यायहित में उसे सुना जाना आवश्यक है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्राकृतिक सिद्धान्तों की अवहेलना करके अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.07.2022 पारित किया है जो निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्त ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अपीलाधीन निर्णय में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है तथा तहसीलदार बस्सी को स्पष्ट रूप से आदेशित किया गया है कि पड़ौसी काश्तकारों को रेस्पोंडेन्ट्स के खर्चे पर सूचित किया जावे किन्तु तहसीलदार बस्सी द्वारा अपीलान्त को उक्त अपीलाधीन आदेश की पालना में बिना कोई नोटिस दिये

(4)

बिना ही पत्थरगढ़ी करने पहुँच गये तथा अपीलान्त की खरीफ की फसल को नष्ट भष्ट कर नुकसान कारित किया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय को पूर्व में ही यह अन्देश व जानकारी थी कि पड़ौसी काश्तकारों को पक्षकार नहीं बनाया गया जबकि धारा 128 भू राजस्व अधिनियम के अर्न्तगत पड़ौसी काश्तकारों को सुना जाकर ही कोई आदेश पारित किया जाना चाहिये फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों के बाहर जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.07.2022 पारित किया है जो काबिले निरस्त है।

अधिवक्ता अपीलान्त ने कथन किया है कि रेस्पोजेण्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष साजपूर्वक तथा दुरभि संधि करके तथ्यों को छुपाते हुए जो सीमांकन दिनांक 26.05.2022 को किया गया उक्त सीमांकन भी अपीलान्त को बगैर नोटिस पारित किये गुप्त रूप से किया गया है तथा उक्त सीमांकन के सम्बन्ध में भी अपीलान्त को किसी प्रकार का कोई नोटिस प्रदान नहीं किया गया, उक्त सीमांकन भी एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है जिसके सुनियोजित तरीके से सीमांकन रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खसरा नम्बर 313/102, 314/102, 315/102, 316/102, 317/102 अलग-अलग पत्थरगढ़ी व सीमांकन का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें भी अपीलान्त को किसी प्रकार से पक्षकार नहीं बनाया गया जबकि उक्त सीमांकन उक्त खसरा नम्बरान का एक साथ ही किया गया था। इस प्रकार रेस्पोजेण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय को मुगालते में रखते हुए उक्त अपीलाधीन आदेश पारित करवाया है जो कानूनी प्रावधानों के बाहर जाकर पारित आदेश होने से काबिले निरस्त है।

अधिवक्ता अपीलान्त ने कथन किया है कि अपीलान्त अपनी कृषि आराजीयात खसरा नम्बर 99 रकबा 3.97 हैक्टर ग्राम कानड़वास तहसील बस्सी के खातेदार काश्तकार है तथा अपनी कृषि आराजीयात को अर्से दर्राज से काबिज काश्त होकर उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे है जिस पर मौके पर ग्वार व बाजरे की फसल उग रही थी उक्त तथ्यों को छुपाकर तहसीलदार बस्सी द्वारा अपना जवाब दिनांक 28.06.2022 को प्रस्तुत किया जिसमें अपीलान्त की कृषि आराजीयात में उगी फसल का विवरण नहीं दिया तथा जानबुझकर उक्त तथ्यों को लोप किया गया। इस प्रकार सीमांकन व पत्थरगढ़ी के प्रावधानों के बाहर जाकर अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व साक्ष्यों को नजरअन्दाज करके उक्त अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो निरस्तनीय है। अतः अपीलार्थीगण की पांचों अपीलें स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 59/2022 उनवानी हरिनारायण बनाम राजस्थान सरकार, प्रकरण संख्या 60/2022 उनवानी बलदेव बनाम राजस्थान सरकार, प्रकरण संख्या 52/2022 उनवानी कैलाश बनाम राजस्थान सरकार, प्रकरण संख्या 61/2022 उनवानी गंगादेवी बनाम राजस्थान सरकार, एवं प्रकरण संख्या 50/2022 उनवानी कैलाश बनाम राजस्थान सरकार में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.07.2022 को खारिज फरमाया जावें।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि अपीलार्थी को अपील प्रस्तुत करने का कोई लोकस स्टेण्डाई नहीं है, ना ही आज्ञा जैर अपील से अपीलार्थी के कोई हित प्रभावित होते है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा जैर अपील से प्रभावित होते है, रेस्पोडेन्ट ने पत्थरगढी तहसीलदार के आदेश दिनांक 26.05.2022 के सीमाज्ञान के अनुसार करवाई है, अपीलार्थी ने जिस भूमि के आदेश को चुनौती दी है, उसका वे ना तो पड़ौसी खातेदार ह इसलिये उन्हे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, ना ही अपीलार्थी अधीन आदेश से अपीलार्थीगण के कोई हित व अधिकार प्रभावित होते है बल्कि अपीलार्थी अपील के माध्यम से स्थगन प्राप्त कर रेस्पोडेन्ट की भूमि पर जबरन ताकत के बल पर कब्जा करना चाहते है इसकी पुष्टि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुलिस सहायता प्रदान के आदेश से भी हो जाती है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपील प्रस्तुत करने का अधिकार उसी व्यक्ति को प्राप्त है जिसके हित व अधिकारों के प्रति निर्णय जैर अपील का प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, अपीलार्थीगण निर्णय जैर अपील से पीड़ित पक्षकार न होने से उसके द्वारा प्रस्तुत अपील के लिये अनुमति प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा.दी. खारिज फरमाते हुऐ उसे अपील प्रस्तुत करने का अधिकार न मानते हुऐ अपील अपीलान्त इसी स्तर पर खारिज फरमायी जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि अपीलार्थी खसरा नम्बर 99 का खातेदार होना स्वीकार है तथा रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलार्थी के भूमि पर कब्जा करने की फिराक का तथ्य पूर्णतया झूठा व बनावटी अंकित किया है बल्कि अपीलार्थी रेस्पोडेन्ट की भूमि पर कब्जा करने का प्रयास करते रहते है इसलिये रेस्पोडेन्ट ने पहले तो अपनी भूमि का सीमाज्ञान करवाया तत्पश्चात् सीमाज्ञान रिपोर्ट के मुताबिक पत्थरगढी करवाई ताकि अपनी भूमि की सुरक्षा हेतु पत्थरगढी करवा कर उस अनुसार तारबन्दी की है उसे भी अपीलार्थीगण ने ताकत के बल पर उखाड़ दिया जिसके विरुद्ध पुलिस थाना में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज की जा चुकी है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलार्थीगण अपराधिक मनोवृत्ति के व्यक्ति है और ताकत के बल पर येन-केन प्रकारेण खातेदारों को धमकाकर उसकी भूमि पर कब्जा करने के प्रयास में लगे रहते है तथा इस प्रकरण में भी बिना पुलिस इमदाद के तहसीलदार द्वारा पत्थरगढी करवाया जाना संभव नहीं हो सका पत्थरगढी के पश्चात् उसके द्वारा पत्थरगढी के पत्थरों को उखाड़ देने से अपीलार्थीगण के विरुद्ध फौजदारी प्रकरण दर्ज हो चुका है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलार्थीगण के पक्ष में किसी प्रकार का प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति कारित होना प्रमाणित नहीं है तथा रेस्पोडेन्ट निर्णय जैर अपील में अंकित वादग्रस्त भूमि के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है और उन्हे अपनी खातेदारी भूमि का निर्बाध रूप से उपयोग-उपयोग करने का पूर्ण कानून अधिकार है जिससे उन्हे कानूनन वंचित नहीं किया जा सकता।

(6)

अतः अपीलार्थीगण की पांचों अपीलें सारहीन व बलहीन हाने से व प्रकरण में अपीलार्थीगण की कोई लोकस स्टेण्डाई नहीं होने से अपीलार्थीगण के पांचों प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. एवं पांचों अपीलें खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रत्येक खातेदार का अपनी आराजी एवं फसल की सुरक्षा के लिये आराजी का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करवाने का हक अधिकार कानूनन प्रदत्त है। हस्तगत प्रकरण में रेस्पोंडेन्ट द्वारा अपनी आराजी का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी कराने हेतु प्रार्थना पत्रादि प्रस्तुत किये गये हैं जिसके सम्बन्ध में अपीलार्थी को किसी प्रकार के उज्रात करने का कानूनन अधिकार प्रदत्त नहीं है किन्तु अपीलार्थी की आराजी खसरा नम्बर 99 रेस्पोंडेन्ट की आराजी के सीमाजोड़ पर स्थित है। ऐसी स्थिति में न्यायहित में अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाना न्यायौचित होगा।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण के प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. स्वीकार किये जाते हैं तथा अपीलार्थीगण की पांचों अपीलें भी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं एवं तहसीलदार बस्सी को निर्देशित किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी के अपीलाधीन आदेश 04.07.2022 की पालना के दौरान अपीलार्थीगण को एवं अन्य पड़ोसी खातेदारान को नोटिस दिया जाकर अपीलार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 99 की भी नियमानुसार पैमाईश की जाकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 111 में प्रावधित प्रावधानों के नियमानुसार पड़ोसी खातेदारान के कब्जे में भूमि रिकार्ड के अनुसार है या नहीं यह भी सुनिश्चित करते हुए पत्थरगढी की कार्यवाही की जावें एवं पत्थरगढी की आड़ में किसी पड़ोसी खातेदार की भूमि को राजस्व रिकार्ड में दर्ज क्षेत्रफल से कम नहीं की जावें।

(अन्तरसिंह नेहरा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 18.01.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त, 18/1/23
जयपुर।